



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112021-231147
CG-DL-E-15112021-231147

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2021/कार्तिक 21, 1943

No. 15]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021/KARTIKA 21, 1943

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2021

का.नि.आ. 19(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 02(अ), तारीख 05 फरवरी, 2021 जिसमें कतिपय छावनी बोर्डों के गठन में फेरफार की घोषणा अंतर्विष्ट है, के साथ पठित छावनी अधिनियम 2006 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, उक्त धारा की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा उपदर्शित छावनी बोर्डों के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का नामांकन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 10 फरवरी, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए या उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन बोर्ड के गठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अधिसूचित करती है :

क्र.सं. (1)	छावनी बोर्ड का नाम (2)	छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन छावनी बोर्ड के गठन में सम्मिलित सदस्यों के नाम (3)
1.	अमृतसर	श्रीमती अल्का शर्मा
2.	बकलोह	कुमारी शर्मिला राई
3.	डलहौज़ी	श्री विनोद महाजन
4.	दिल्ली	श्री मनीष सिंह

5.	फिरोजपुर	श्री योगेश कुमार गुप्ता
6.	जालंधर	श्री पुनीतभारती शुक्ला
7.	सुबाथू	श्री रवि शर्मा
8.	अहमदाबाद	श्री विजय ओमप्रकाश यादव
9.	अजमेर	श्री मोहनदास विजय
10.	बबीना	श्री पलविन्दर सिंह नन्दा
11.	बेलगाम	श्री सुधीर के. तुपेकर
12.	देवलाली	सुश्री प्रीतम दिनकर आडवा
13.	मोरार	श्री सन्नी कुमारबोहरे
14.	नसीराबाद	श्री सुशील कुमार जैन गदिया
15.	सिकंदराबाद	श्री जे रामाकृष्णा
16.	सेंट थॉमस माउंट कम पलावरम	श्री पी. ए. गुणा
17.	वेलिंगटन	श्रीमती पी शीबा

[फा. सं. 14(5)/2021-रक्षा (क्यू एंड सी)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 2021

S.R.O. 19(E).—In pursuance of sub-section (3) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 2(E) dated the 5th February, 2021, containing the declaration varying the constitution of certain Cantonment Boards, the Central Government hereby notifies the nomination of members specified in column (3) of the Table given below of the Cantonment Boards as indicated in column (2) thereof, under clause (c) of sub-section (2) of the said section for a period ending 10th February, 2022 with effect from the date of publication of this Notification or till the constitution of the Board under section 12 of the said Act, whichever is earlier.

Sl. No.	Name of Cantonment Board.	Name of the members constituting the Cantonment Board under clause (c) of sub-section (2) of section 13 of the Cantonments Act, 2006.
(1)	(2)	(3)
1.	Amritsar	Smt. Alka Sharma
2.	Bakloh	Miss Sharmila Rai
3.	Dalhousie	Shri Vinod Mahajan
4.	Delhi	Shri Manish Singh
5.	Ferozepur	Shri Yogesh Kumar Gupta
6.	Jalandhar	Shri Puneet Bharti Shukla
7.	Subathu	Shri Ravi Sharma
8.	Ahmedabad	Shri Vijay O Yadav
9.	Ajmer	Shri Mohandas Vijay
10.	Babina	Shri Palvinder Singh Nanda
11.	Belgaum	Shri Sudhir K Tupekar
12.	Deolali	Miss Pritam Dinkar Adhav
13.	Morar	Shri Sunny Kumar Bohre
14.	Nasirabad	Shri Sushil Kumar Jain Gadia
15.	Secunderabad	Shri J Ramakrishna
16.	St. Thomas Mount Cum Palavaram	Shri P A Guna
17.	Wellington	Smt. P Sheeba

[F. No. 14(5)/2021-D (Q&C)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2021

का.नि.आ. 20(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 10(अ), तारीख 25 मई, 2021 जिसमें कतिपय छावनी बोर्डों के गठन में फेरफार की घोषणा अंतर्विष्ट है, के साथ पठित छावनी अधिनियम 2006 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, उक्त धारा की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा उपदर्शित छावनी बोर्डों के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का नामांकन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 02 जून, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए या उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन बोर्ड के गठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अधिसूचित करती है :

क्र.सं. (1)	छावनी बोर्ड का नाम (2)	छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन छावनी बोर्ड के गठन में सम्मिलित सदस्यों के नाम (3)
1.	बदामीबाग	श्री इम्तियाज़ अहमद राथर
2.	जम्मू	श्री भारत भूषण

[फा. सं. 14(5)/2021-रक्षा (क्यू एंड सी)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2021

S.R.O. 20(E).—In pursuance of sub-section (3) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 10(E) dated the 25th May, 2021, containing the declaration varying the constitution of certain Cantonment Boards, the Central Government hereby notifies the nomination of members specified in column (3) of the Table given below of the Cantonment Boards as indicated in column (2) thereof, under clause (c) of sub-section (2) of the said section for a period ending 02nd June, 2022 with effect from the date of publication of this Notification or till the constitution of the Board under section 12 of the said Act, whichever is earlier.

Sl. No. (1)	Name of Cantonment Board. (2)	Name of the members constituting the Cantonment Board under clause (c) of sub-section (2) of section 13 of the Cantonments Act, 2006. (3)
1.	Badamibagh	Shri Imtiyaz Ahmad Rather
2.	Jammu	Shri Bharat Bhushan

[F.No. 14(5)/2021-D (Q&C)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.